राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

कमांकः F-7(2)(9)सां./निर्वा/2015/3089 दिनांक 4/6/18

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

प्रेषितिः समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।
समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,
राजस्थान

विषयः मतदाता सूचियों में से मृत व्यक्तियों के नाम विलोपित करने बाबत।

संदर्भः भारत निर्वाचन आयोग का पत्र कमांक 22/2/LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 दिनांक 08.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत निर्वाचन आयोग के सन्दर्भित पत्र के द्वारा मतदाता सूचियों में मृत मतदाताओं के नाम हटाने हेतु जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन से मृत व्यक्तियों के नामों के डेटा प्राप्त कर हटाने हेतु निर्देशित किया है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय द्वारा पहचान पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों की सूचना ऑनलाईन उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा निर्वाचन विभाग की वेबसाईट (ceorajasthan.nic.in) पर **"पहचान" पोर्टल** का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। निर्वाचन विभाग के लिए इसका यूजर नेम **ceoraj** एवे पासवर्ड **Anil123$** है।

अतः जिला निर्वाचन अधिकारीयों तथा सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि भारत निर्वाचक आयोग के निर्देशानुसार पहचान पोर्टल से मृत व्यक्तियों की सूचना प्रत्येक माह प्राप्त कर यह सुनिश्चित करेंगे की उस सूची में से दर्ज व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज है अथवा नहीं। यदि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज पाये जाते है तो सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए ऐसे चिन्हित मतदाताओं के नाम विलोपित करने की कार्यवाही करेंगे। नाम विलोपन की कार्यवाही बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर सर्वे के दौरान करवाई जायेंगी तथा उसके पश्चात मतदाता सूचियों के निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक माह की जायेंगी।

भवदीया,

(विनोद पारीक)
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।